बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं./106/2022–317

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 17/03/2025

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45 –84.30 कि0मी0) कुल 43.85 कि0मी0 में पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – विभागीय पत्रांक 4/वन भूमि–17/2025 684/प0व0ज0प0 दिनांक 12.02.2025

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 88 दिनांक 20.01.2025 द्वारा भेजा गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 03.02.2025 को पारित आदेश की कंडिका–4 में दिये गये निर्देश इस प्रकार है–

"We make it clear that until further orders, no steps will be taken by the Union of India or any of the States, which will lead to reduction of the forest land unless a compensatory land is provided either by the State Government or the Union of India for the purpose of afforestation."

उपर्युक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 4/वन भूमि–17/2025 684/प0व0ज0प0 दिनांक 12.02.2025 द्वारा प्रस्ताव को मूल रूप में वापस किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/BR/ROAD/404838/2022 में दोगुणे अवकृष्ट वन भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण के प्रावधानों के साथ दिनांक 28.02.2025 को Stage-I की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

विचाराधीन प्रस्ताव पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किया जाना है। केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अंतिम मंजूरी पत्र जारी होने तक किसी भी वन भूमि को अपयोजित नहीं माना जाता है। मंत्रालय द्वारा यह भी प्रसारित किया गया कि ऐसे सैद्धान्तिक अनुमोदन एक अनिवार्य शर्त्त पर आधारित हैं कि अपयोजन के लिये प्रस्तावित वन भूमि की कानूनी स्थिति अपयोजन के बाद भी अपरिवर्तित रहती है। वर्त्तमान प्रस्ताव में अपयोजन के लिये शामिल वन क्षेत्र के दोगुने अवकृष्ट भूमि में क्षतिपूरक वनरोपण किया जाना प्रस्तावित है। WP 1164/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.02.2025 को पारित आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि प्रदान किया जायेगा।

उपर्युक्त के आलोक में मान्य हो तो दोगुणे अवकृष्ट वन भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण के प्रावधानों के साथ विषयाधीन प्रस्ताव पर भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता है–

भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि0मी0) कुल 43.85 कि0मी0 में पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर एवं वन संरक्षक, पटना के माध्यम से अनुसंशा के साथ प्राप्त हुआ है।

2. भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45 –84.30 कि0मी0) कुल 43.85 कि0मी0 पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है जिसमें कुल 22.716 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं कुल 4177 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर एवं वन संरक्षक, पटना अंचल द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	Tranlocate हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या
1	भोजपुर	40.45–84.30 कि0मी0	22.716	3500	677
		कुल	**22.716**	**3500**	**677**

3. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कुल 22.716 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा भाग–II कि प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में 677 वृक्षों का पातन एवं 3500 वृक्षों का पुर्नस्थापन किया जायेगा। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 22.716 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अर्थात् 45.432 हे0 अर्थात् 45.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि रोहतास वन प्रमंडल अन्तर्गत, रोहतास वन प्रक्षेत्र के मौजा बुधुआ (PF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र

8. वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा भाग–II की प्रविष्टि, अनुशंसा नोट, वृक्ष गणना सूची, इत्यादि परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसके आलोक में प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है। परिवेश पोर्टल पर प्रयोक्ता एजेंसी, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा ऑन लाईन किये गये अनुशंसा की Downloads प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

9. विषयक प्रस्ताव के साथ अत्यधिक दस्तावेज होने के कारण इसे e-Office Portal पर अपलोड करने में कठिनाईयाँ हो रही है। अतएव विषयक प्रस्ताव को e-Office Portal पर अपलोड किये बिना ही कार्रवाई किया जा सकता है।

10. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 22.716 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,17,56,930/– (रूपये दौ करोड़ सतहर लाख छप्पन हजार नौ तीस) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 22.716 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के रोहतास प्रक्षेत्र अन्तर्गत अवकृष्ट वन भूमि यथा बुधुआ मौजा (सुरक्षित वन) को चिन्हित करते हुए कुल रू० 1,05,14,922/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।
4. परियोजना निर्माण के क्रम में पौधों का पुर्नस्थापन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी के दिशा–निर्देशन में कराया जायेगा। पुर्नस्थापित होने वाले पौधों के लिये स्थल एवं प्रक्रिया का निर्धारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा किया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1648/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
5. यह अनुशंसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारधीन वाद सं0 WP(C)1164/2023 में पारित आदेश/निदेश के अधीन प्रभावित होगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./106/2022–317 दिनांक– 17/03/2025

प्रतिलिपि – वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।

17/03/25

(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45 –84.30 कि0मी0) कुल 43.85 कि0मी0 में पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 22.716 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
11	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
12	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143
ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com